

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग


क्रमांक :- निस./2021/28

दिनांक: 17/05/2021

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पूर्व जारी आदेश दिनांक 03-05-2021 के अनुसार दिनांक 17 मई, 2021 तक राज्य आयोग कार्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में गृह (गुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आदेश सं. प. 7(1)गृह-7/2021 दिनांक 06-05-2021 के तहत महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन घोषित होने के कारण दिनांक 24-05-2021 तक सभी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे।

उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग कार्यालय को दिनांक 24-05-2021 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में नये परिवारों की वर्चुअल सुनवाई पूर्व की भांति "वर्क फ्रॉम होम" के माध्यम से जारी रहेगी।


(विश्राम मीणा)
सचिव

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,
जयपुर।